(136)

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0

R 863-I-17

वीरसिंह उम्र 44 साल तनय वृजनन्दन यादव

निवासी- टेनीपुरा, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.... आवेदक

// बनाम //

सुखनन्दन तनय रामप्रसाद यादव ,

निवासी- टेनीपुरा, तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.... अनावेदक.

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

यह निगरानी, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीयअधिकारी §राजस्व§ निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक- 355/अपील/15-1 में पारित आदेश दिनांक- 20.1.2017 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों आधार पर मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

1\. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पृथ्वीपुर मण्डल नैगुवां

R
27/2/17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–863–एक/2017 जिला–टीकमगढ़

वीरसिंह विरूद्ध सुखनन्दन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाढ़ी, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 355/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20–01–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 30–10–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	